–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 33/2025

उनवान

जरीना बेगम पत्नी वहीमुददीन जाति मुसलमान निवासी गग्राम रामसर, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :– जरियें जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– २५.१०.२५

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7196 रकबा 0.14, 7190 रकबा 0.07, 7189 रकबा 0.07, 7188 रकबा 0.21 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 7197 रकबा 0.16 का उपयोग करते है। खसरा नम्बर 7197 से सटा कर रामसर से लक्ष्मीपुरा जाने वाली कच्ची सडक है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7196 रकबा 0.14, 7190 रकबा 0.07, 7189 रकबा 0.07, 7188 रकबा 0.21 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 7197 रकबा 0.16 का उपयोग करते है। तहसीलदार नसीराबाद ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु कोई लघुतम/दीर्घतम मार्ग नही है। खसरा नम्बर 7197 में से आवागमन किया जाता है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता व अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही होना बताया गया है। मौका रिपोर्ट में प्रसतावित रास्ते से सिवायचक भूमि के दो टुकडे होने के कारण प्रकरण में पुनः रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अवगत कराया कि खसरा नम्बर 7197 सिवा[illegible] रूददीन कुरेशी निवासी रामसर द्वारा पक्की चारदीवारी का निर्माण करवा रखा [illegible] त्त भूमि पर से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार नसीर[illegible] के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अन्य कोई [illegible] प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग को दिये जाने की अभिशंषा तहसीलदा[illegible] नसीराबाद द्वारा की गयी है। राजस्व मानचित्र अनुसार भी प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रकर[illegible] कोई खण्डन

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:26 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पेश नही किया गया है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। प्रार्थी द्वारा 30 फिट मार्ग चाहा गया है किन्तु कृषि कार्य के लिये 15 फिट रास्ता पर्याप्त है। अतः प्रार्थी 15 फिट चौडा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7197 में से 101 वर्ग मीटर (4.57 मीटर चौडा व 22 मीटर लम्बा) रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले 12136/अक्षर एक बारह हजार एक सौ छतीस रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। व खसरा नम्बर 7197 सिवायचक भूमि पर नूर मौहम्मद पुत्र बदरूददीन कुरेशी निवासी रामसर द्वारा पक्की चारदीवारी का निर्माण कर किये गये अतिक्रमण के विरूद्व विधिवत कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:26 IST
Reason: SelfAttested